UPSD010034172022

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट), सिद्धार्थनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या----१६८३/२०२२

जे०ओ० कोड----------यू.पी. ६४०७

1–अय्याम पुत्र आशिक अली

2–हसीना पत्नी तैय्यब अली

साकिनान–धोबहा टोला–जुनैदडीह, थाना–कठेला समय माता, जिला–सिद्धार्थनगर।

.....**आवेदिकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–१६०/२०२२

अन्तर्गत धारा– ३७६(३),१२०बी,५०४,५०६ भा०दं०सं० व ३/४,१६/१७ पाक्सो एक्ट

थाना–कठेला समय माता**, जनपद–**सिद्धार्थनगर।

दिनांक–१४–१०–२०२२

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्तगण 1–अय्याम पुत्र आशिक अली 2–हसीना पत्नी तैय्यब अली की ओर से उन्हें प्रस्तुत मामले में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मुकदमा वादी की लडकी जिसकी उम्र लगभग १५ वर्ष है उसी गांव का लडका इन्द्रीश अपने प्रेम जाल में फसा लिया था तथा शादी का झांसा देकर दिनांक–२३–०७–२०२२ को रात्रि को करीब दस बजे अपनी मौसी हसीना के घर पर शरीरिक सम्बधं बनाया। इस बात को ईसराइल की मौसी हसीना व हसीना का देवर अय्याम पुत्र आशिक अली भी जानता है उसकी लडकी घर पर आकर सारी बात बतायी हम लोग पूछने लगे तो इशराइल भाग गया तथा हसीना व अय्याम झगडा करने लगे। व गाली गुप्ता व धमकी देने लगे।

जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है, महज रंजिशन फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट डेढ माह के विलम्ब

से दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर से पुरानी रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश की बजह से वादी मुकदमा द्वारा तथ्यों का सहारा लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।अभियुक्ता हसीना द्वारा वादी मकदमा से यह कहा गया कि तुम्हारी लडकी ही मेरे रिश्तेदार से बातचीत करती है। तुम उसको रोक लो। इसराईल कभी उससे बात नहीं करेगा। इस पर वादी मुकदमा भी अभियुक्ता से नाराज होकर कहने लगा कि मेरी लडकी और तुम्हारे लडके रिश्तेदार इसराईल के प्रेम सम्बन्धों की जानकारी पूरे गांव को हो गयी है। मेरी बडी बेइज्जती हुयी है। मैं अपना अपमान चुपचाप नहीं सह सकता। मैं इसराईल व तुम लोगों को फर्जी मुकदमें में फंसा कर तबाह व बर्बाद कर दूंगा। घटना रात १० बजे की कही जाती है। जबकि वादी मुकदमा व प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर से पूर्व से ही दुश्मनी चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा की लडकी का प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर में बलात्कार करने की बात स्वतः झूठी हो जाती है। पीडिता को प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर में आते जाते किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुकदका वादी को न तो गाली गुप्ता दिया गया है न ही जान से मारने की धमकी दिया गया है। वादी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की छवि धूमिल करना चाहता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालाय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अपनी जमानत देने को तैयार है। ऐसी दशा में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दौरान मुकदमा उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो के द्वारा किया गया।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों को मेरे द्वारा सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

घटना के समय पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में पत्रावली में संलग्न मदरसा जामिया अहले सुन्नत इम्दादुल उलूम मटेहना, पोस्ट खण्डसरी जनपद सिद्धार्थनगर की प्रमाणित प्रति, जिसका उल्लेख विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नम्बर–१ दिनांकित–०९–०९–२०२२ पर किया गया है, में पीड़िता की जन्मतिथि दिनांक–०१–०१–२००७ उल्लिखित की गयी है। अतः उक्त के अनुसार घटना के समय पीड़िता प्रथम दृष्टया एक अवयस्क बालिका होनी पायी जाती है।

पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–१६१ दं.प्र.सं. जिसका उल्लेख केसडायरी के पर्चा नम्बर–१ , दिनांकित–०९–०९–२०२२ पर विवेचक के द्वारा किया गया है, में कहा है कि वह इसराईल को दो चार महिने से जानती पहचानती हूं। फोन से मरी बात भी होती थी। दिनांक–२३–०७–२०२२ को फोन कर इसराईल उसे अपने खाला (हसीना) के घर बुलाया और रात १० बजे मैं अकेले अपने घर से निकल कर इसराईल के खाला के घर चली गयी इसराईल के खाला के घर उसकी खाला हसीना व अय्यम पुत्र आशिक अली मौजूद थे। सभी

लोग की मौजूदगी में इसराईल ने कहा मैं तुमसे शादी करूगा और कल सुबह तुमको मुम्बई लेकर चलूगां। दिनांक–२३–०७–२०२२ की रात को ही इसराईल ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबन्ध बनायाथा। दुसरे दिन सुबह ३ बजे इसराईल के खाला के घर से भाग कर अपने घर गयी। और अपने घर वालो को सारी बात बताई। इसराईल के खाला हसीना व अय्याम ने उसके घर वालो को गाली गुप्ता दिये और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे।

पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–१६४ दं.प्र.सं. में कथन किया है कि में इसराईल को ३ माह से जानती हूं वह अपनी खाला के घर रहता था। २३–०७–२०२२ को इसराईल ने रियाज को मेरे घर शादी करने के लिए पूछने भेजा था। दिनांक–२३–०७–२०२२ को फिर इसराईल में मुझे फोन किया पहले इसराईल ने मुझसे बात नहीं की मुझे फोन से रात में १० बजे अपनी खाला के घर बुलाया। इसराईल ने उसके साथ गलत काम किया। हसीना व अय्याम ने भी इसराईल को कुछ नहीं कहां।

इस प्रकार ऊपर समस्त तथ्यों से तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेखों के परिशीलन से एवं प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये अपराध बहुत ही गम्भीर प्रकृति के हैं।

इस प्रकार मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप की गम्भीरता व विधिक दण्ड को ध्यान में रखते हुए तथा प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण १–अय्याम पुत्र आशिक अली २–हसीना पत्नी तैय्यब अली का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–१६८३/२०२२, मुकदमा अपराध संख्या–१६०/२०२२, अन्तर्गत धारा–३७६(३),१२०बी,५०४,५०६ भा०दं०सं० व ३/४,१६/१७ पाक्सो एक्ट ., थाना–कठेला समय माता , जनपद–सिद्धार्थनगर निरस्त किया जाता है।

दिनांक–१४–१०–२०२२

(प्रमोद कुमार सिहं–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट,
सिद्धार्थनगर

Digitally signed by PRAMOD KUMAR SINGH
Date: 2022.10.19 11:04:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court